रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2005/वैशाख 20, 1927

No. 73] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2005/VAISAKHA 20, 1927

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुम्बई, 6 मई, 2005

**सं. टीएएमपी/61/2004-सीएचपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, विशिष्ट कर्षण नौकाओं, लांचों, मोबाइल क्रेनों, ग्रैब, सर्वे लांचों और डीजीपीएस सर्वे उपकर, व्हार्फ क्रेनों के किराया प्रभार निर्धारित करने और 150 टन तैरती क्रेन के लिए श्रमिकों के समयोपरि प्रभार निर्धारित करने के लिए चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित प्रकरणों को संलग्न आदेशानुसार बंद करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## प्रकरण सं. टीएएमपी/61/2004-सीएचपीटी

**चेन्नई पत्तन न्यास** **आवेदक**

## आदेश

(मई 2005 के दूसरे दिन पारित)

चेन्नई पत्तन न्यास ने इस प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित सात प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल किए थे :—

(i) के लिए किराया प्रभार निर्धारित करना

(क) नई कर्षण नौकाएँ "सुंदरनार" और "सेक्कीज़ार"- (प्रकरण सं. टीएएमपी/43/2004-सीएचपीटी)

(ख) पाइलट लाँच-प्रोग्रैस, मुथु और यूटिलिटी—(प्रकरण सं. टीएएमपी/44/2004-सीएचपीटी)

(ग) 75 टन क्षमता की टायर पर आरुढ़ एक मोबाइल क्रेन-(प्रकरण सं. टीएएमपी/45/2004-सीएचपीटी)

(घ) 5 और 8 घन मीटर क्षमता के ग्रैब्स-(प्रकरण सं. टीएएमपी/46/2004-सीएचपीटी)

(ङ) सर्वे लांच IV और डीजीपीएस सर्वे उपकरण-(प्रकरण सं. टीएएमपी/54/2004-सीएचपीटी)

(च) 15 टन की इलैक्ट्रानिक लेवल लाफिंग व्हार्फ क्रेन-(प्रकरण सं. टीएएमपी/61/2004-सीएचपीटी)

(ii) 150 टन वाली तैरती क्रेन के कर्मचारियों के लिए सम, भत्ता का निर्धारण-(प्रकरण सं. टीएएमपी/47/2004-सीएचपीटी)

2. प्रत्येक संदर्भित प्रस्ताव को एक अलग प्रशुल्क प्रकरण के रूप में स्वीकृत किया गया था और अपनाई हुई परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इन पर आगामी कार्रवाई की गई। इन सभी प्रकरणों में एक संयुक्त सुनवाई 14 फरवरी, 2005 को सीएचपीटी के परिसर में आयोजित की गई थी।

3. संयुक्त सुनवाई में यह सहमति हुई थी कि सीएचपीटी आनुषंगिक उपयोगकर्त्ताओं के परामर्श से सभी प्रस्तावों को दोबारा तैयार करेगा किन्तु, सीएचपीटी ने ऐसे संशोधित प्रस्ताव दाखिल नहीं किए। इसकी बजाए सीएचपीटी ने दिनांक 29 अप्रैल, 2005 के अपने पत्र द्वारा संदर्भित प्रस्तावों को वापिस लेने और अपने दरमान की सामान्य समीक्षा हेतु व्यापक प्रस्ताव (निर्माणाधीन) में सम्मिलित करने का निर्णय सूचित किया है।

4. परिणामस्वरूप, यह प्राधिकरण सभी सात प्रशुल्क प्रकरण वापिस लिए गए रूप में बंद करने का निर्णय लेता है।

अ. लं. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/05-असा.]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 6th May, 2005

**No. TAMP/61/2004-CHPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the cases relating to the proposals of the Chennai Port Trust (CHPT) for fixation of hire charges for the specified Tugs, Launches, Mobile Crane, Grabs, Survey Launch and DGPS survey instrument, Wharf Cranes and fixation of crew OT charges for 150 tonne floating crane as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

**Case No : TAMP/61/2004-CHPT**

**The Chennai Port Trust** **Applicant**

### ORDER

(Passed on this 2nd day of May, 2005)

The Chennai Port Trust (CHPT) had filed the following seven tariff proposals before this Authority :

(i) Fixation of hire charges for—

(a) New Tugs "Sundaranar" and "Sekkizhar" —(Case No. TAMP/43/2004-CHPT)

(b) Pilot Launches-Progress, Muthu and Utility—(Case No. TAMP/44/2004-CHPT)

(c) 1 No. 75 tonne capacity tyre mounted mobile crane—(Case No. TAMP/45/2004-CHPT)

(d) Grabs of 5 and 8 cubic metre capacity—(Case No. TAMP/46/2004-CHPT)

(e) Survey Launch IV and DGPS survey instrument—(Case No. TAMP/54/2004-CHPT)

(f) 15 tonne Electronic Level Luffing Wharf cranes—(Case No. TAMP/61/2004-CHPT)

(ii) Fixation of crew OT charges for 150 tonne floating crane—(Case No. TAMP/47/2004-CHPT)

2. Each of the proposals in reference was registered as a separate tariff case and processed further following the consultative procedure adopted. A joint hearing in all these cases were held on 14th February, 2005 at the CHPT premises.

3. It was agreed at the joint hearings that the CHPT would recast all the proposals in consultation with the relevant users. The CHPT, however, did not file such revised proposals. Instead, the CHPT *vide* its letter dated 29th April, 2005 has conveyed its decision to withdraw the proposals in reference and include the proposals in the comprehensive proposal (under formulation) for general review of its Scale of Rates.

4. In the result, this Authority decides to close all the seven tariff cases as withdrawn.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT/III/IV/143/05-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.